

OTI / Speed post

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/72/2016-17

12 सितंबर, 2016

श्री वी. के. राजन,
उपसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु
महोदय,

संलग्न पत्र श्री सुलतान खान निवासी नजदीक पेट्रोल पंप माटोर रोड, वार्ड नं. 13, खैरथल जिला अलवर, राजस्थान का 07.09.2016 का इस कार्यालय में 09.09.2016 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने दस रूपये का पो.आ. संख्या 35F 632137 संलग्न कर संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विषय में जानकारी चाही है। चूंकि पत्र की विषय-वस्तु गृह मंत्रालय से संबंधित है, अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया आवेदक को मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जो इस विषय के निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

हुरबी शकील
(हुरबी शकील)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- 1- श्री एन.बी. मनी, अवर सचिव/लोक सूचना अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- 2- श्री सुलतान खान नजदीक पेट्रोल पंप माटोर रोड, वार्ड नं. 13, खैरथल जिला अलवर, राजस्थान - कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी से संपर्क करें।

हुरबी शकील
(हुरबी शकील)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

O/C

Naveen Singh
14/9/16

सेवामें,



मीमान हमीद अन्सारी

Vice President of India

New Delhi - 110011

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के
..... अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संवोध में

Respected Sir,

With great respect and humble submission. I beg to submit the following few file for your kind consideration and favourable action please.

1. धर्म की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार में से है। भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 में निहित है।

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में व्यक्ति सीधे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जा कर इन्हें लागू करवा सकता है।

धर्म निरपेक्ष शब्द संविधान में 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया।

संविधान की प्रस्तावना - हम भारत के लिए भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को संविधान की प्रस्तावना 13 दिसम्बर, 1946 को जवाहर लाल नेहरू द्वारा पास की गई प्रस्तावना है।

(2)

संविधान में नौवी अनुसूची प्रथम संविधान अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई इसमें 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। लेकिन Indian Army इन कानूनों को नहीं मानती, क्या Indian Army संविधान से ऊपर है?

Indian Army में 10 जनवरी 1951 से Muslim Persons के लिए Permanent दाढ़ी रखने का प्रावधान है। Letter No. 40318/IV/AG/PS-8 dated 10 Jan. 1951

लेकिन Indian Army ने 9 मई 1991 में यह Permission बन्द कर दी, Letter No. 58802/Beard/AG/CW-1 dated 09 May 1991.

क्या यह संविधान द्वारा वर्णित मौलिक अधिकारों में से एक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? जबकि सिख अब भी Indian Army में दाढ़ी रखते हैं?

जबकि Army Head Quarter's Letter No. 58802/AG/CW-1 dated 09 May 1991 के आधार पर Haider Ali S/o Shri Abdul Queyum R/o C-27, Abndul Fazal Enclave Okhla, New Delhi-110025 का Assam Rifles में Summary Court Martial किया गया था जो Delhi High Court में C.W.P.No. 7263/1999 तथा Judgement and order dated 20.12.2002 in CW 3263/99,